राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 255/2015/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त–एफ, जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स ए.सी.रतनस्, 313 लाल जी का रास्ता,
एसएमएस हाईवे, जयपुर .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित :

श्री जमील ज़ई, उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री एस.एन. असावा, अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 26.09.2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 262/अपील्स–तृतीय/13–14/एफ में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 17.07.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–एफ, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा .जायेगा) द्वारा धारा 33 के तहत वर्ष 2006–07 हेतु पारित आदेश दिनांक 25.10.2012 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी का पूर्व में वर्ष 2006–07 का कर निर्धारण दिनांक 30.03.2009 को अधिनियम की धारा 22/23, 24, 55 एवं 58 के द्वारा किया गया, जिसमें प्रत्यर्थी को सर्राफा के तहत प्रशमन स्कीम व जेम स्टोन के तहत प्रशमन स्कीम की राशि जमा के आधार पर प्रशमन योजनाओं का लाभ दिया गया था तथा उक्त कर निर्धारण आदेश में कायम की गई मांग राशि भी प्रत्यर्थी द्वारा जमा करा दी गई थी। इसके पश्चात पुनः अधिनियम की धारा 33 के तहत पूर्व में पारित धारा 22/23, 24, 55 एवं 58 के तहत कर निर्धारण आदेश को संशोधित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी का सर्राफा के तहत कम्पोजिशन स्कीम तथा जैम स्टोन के तहत कम्पोजिशन स्कीम के तहत किये गये कर निर्धारण के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी द्वारा कम्पोजिशन राशि की प्रथम किश्त जो दिनांक 07.04.2006 को जमा होनी थी वह दिनांक 17.05.2006 को जमा करवायी गई, जो विलम्ब से थी। जिससे व्यवसायी का कम्पोजिशन स्कीम का लाभ अस्वीकार करते हुए 1 प्रतिशत की दर से कर रूपये 9,16,791/– एवं ब्याज रूपये 6,21,100/– आरोपित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी ने अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार की, जिनके विरूद्ध अधिनियम की धारा 83 के तहत विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित होकर बतलाया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.10.2012 उचित है एवं अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 17.07.2014 अविधिक होने के कारण प्रस्तुत अपील स्वीकारते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

लगातार.....2

5. प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि विद्वान कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 30.03.2009 को अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत बिक्री प्रपत्रों की पूर्ण जांच करते हुए कर निर्धारण आदेश पारित किया था, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी। जिससे प्रत्यर्थी का प्रकरण संशोधन की सीमा में नहीं आता है। साथ ही उन्होंने बतलाया कि कम्पोजिशन स्कीम के क्लॉज 7.6 के अनुसार यदि व्यवसायी किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो उसे उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए स्कीम के बाहर किया जा सकता है। परन्तु विद्वान कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही स्कीम से वंचित किया है जो अविधिक होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक 25.10.2012 अपास्तनीय है।

6. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि किसी व्यापारी को कम्पोजिशन स्कीम से बाहर स्कीम अवधि में ही किया जा सकता है। इस प्रकरण में प्रत्यर्थी की कम्पोजिशन स्कीम अवधि 01.04.2006 से 31.03.2007 वर्ष 2006–07 से सम्बन्धित है एवं कर निर्धारण अधिकारी ने इस समय सीमा में प्रत्यर्थी को स्कीम से बाहर किये जाने हेतु किसी भी प्रकार की कोई विधिक कार्यवाही अमल में नहीं लाते हुए बिना सोच विचार के अपना आदेश दिनांक 25.10.2012 को पारित किया है जो पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी को आदेश दिनांक 25.10.2012 की तामिली दिनांक 10.07.2013 को हुई है जो आदेश जारी होने के लगभग 9 माह बाद की है। जिससे यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण आदेश पूर्ववर्ती तिथि को प्रत्यर्थी को बिना किसी प्रकार की सुनवाई का मौका दिये पारित किया गया है।

साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी का वर्ष 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 के तहत पारित कर निर्धारण आदेश प्रत्यर्थी को दिनांक 17.06.2013 को तामिल करवाये गये थे, जबकि वर्ष 2006–07 के तहत धारा 33 का आदेश प्रत्यर्थी को दिनांक 10.07.2013 को तामिल करवाया गया। इससे यह स्पष्ट है कि यह आदेश पूर्ववर्ती दिनांक में पारित किया गया है। अतः उन्होंने विभागीय अधिकारियों द्वारा की जाने वाली घोर लापरवाही की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 25.10.2012 को अपास्त करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17.07.2014 की पुष्टि करने का निवेदन किया एवं साथ ही विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

9. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।

10. राज्य सरकार द्वारा जारी सर्राफा व जैम्स व स्टोन्स व्यवहारियों के लिये जारी प्रशमन योजना अधिसूचना संख्या F.12(63)FD/Tax/2005-39 दिनांक 06.05.2006 के बिन्दु संख्या 4 जो दोनों में समान हैं, निम्नानुसार है :–

"4. Manner of payment of Composition Amount :

4.1 The composition amount shall be paid in four quarterly installments. The installment shall be paid, for the period April, 1 to June 30, by 7th July, for the period July 1 to September 30 by 7th October, for the period October 1 to December 31 by 7th January and for the period January 1 to March 31 by the 7th April. The difference, if any, as per the actual turnover of whole of the year shall be calculated and the balance of the composition amount, if any, shall be deposited by April 30th of the immediately succeeding year."

लगातार.....3

26/09/16

लेकिन वर्ष 2006–07 के लिये विशेष प्रावधान प्रावधित किये है तदनुरूप :

"4. Manner of payment of Composition Amount :
4.2 For the composition period of the year 2006-2007, the installments of the composition amount already fallen due shall be deposited within 30 days of the publication of this notfn in the Official Gazette and the tax, if any, ..."

11. उपरोक्त प्रावधानानुसार चूंकि उक्त अधिसूचना दिनांक 08.05.2006 को प्रवृत हुई है, अतः प्रथम त्रैमास की देय प्रशमन राशि 30 दिवस के अन्दर अर्थात 08.06.2006 तक जमा करवाई जा सकती थी। अपीलार्थी ने प्रथम त्रैमास की राशि 17.05.2006 को जमा करवायी थी, जो समयावधि के भीतर थी।

12. उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 06.05.2006 राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2006 से लागू की गई थी, जिससे स्पष्ट है कि यह अधिसूचना इस प्रकरण पर पूर्णतया आच्छादित है, जिसके अनुसार व्यवसायी को निम्न तालिकानुसार कर जमा करवाया जाना था :–

अवधि	कर जमा करवाने की प्रभावी तिथि	कर जमा करवाया गया
प्रथम त्रैमास	08.06.2006	17.05.2006
द्वितीय त्रैमास	07.07.2006	08.07.2006
तृतीय त्रैमास	07.10.2006	10.10.2006
चतुर्थ त्रैमास	30.04.2007	10.01.2007

13. उपरोक्त अधिसूचना के अनुरूप प्रशमन राशि समयावधि में जमा होने तथा प्रकरण के तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17.07.2014 को इस सीमा तक आशोधित (Modify) करते हुए यथावत रखा जाता है।

14. परिणामतः विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है ।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

26/09/16

(राजीव चौधरी)
सदस्य

26.09.2016

(मदन लाल)
सदस्य